न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 26/2013

RCMS No. 2013/00099

प्रार्थीः–

व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, धीनावास जरिये अध्यक्ष भीकाराम पुत्र मगाराम जाति सीरवी निवासी अजीतपुरा तहसील सोजत

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. श्रीमति मूलीदेवी पत्नी स्व. मोहनलाल जाति खत्री निवासी रामदेवरा जिला जैसलमेर
2. सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास तहसील सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी अनुपस्थित।

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/02/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 06/2004 संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.09.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1282 दिनांक 22.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता ने जाहिर किया कि पक्षकार प्रकरण में रिट याचिका प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली ले गए है, इस कारण बहस हेतु असमर्थता जाहिर की। वकील प्रार्थी द्वारा रिट याचिका पेश करने सम्बन्धी तथ्यों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जिसके कारण वकील प्रार्थी के कथन समर्थन योग्य नहीं पाये जाते है। चूंकि प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है, अतः इसके विधि सम्मत निस्तारण हेतु प्रार्थी की निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी याचिका में जो तथ्य अंकित किए गऐ है, उनमें यह अंकित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने में कूननी एवं वाक्याती भूल की है, जिसके कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज योग्य है। ग्राम धीनावास की आबादी खसरा नम्बर 626 में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का एक पट्टासुदा, कब्जासुदा गोदाम कुल 3600 वर्गफीट का आया हुआ स्थित है, जिसका पट्टा मिसल संख्या 1/1972–1973 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 31.07.1972 की पालना में प्रार्थी के पक्ष में जारी हुआ है, जिसके पूर्व में सार्वजनिक बगीची का चौक, पश्चिम में आखरिया, उत्तर में रामदेवली का मन्दिर एवं दक्षिण में आखरिया, आम रास्ता व दरवाजा गोदाम स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पट्टासुदा गोदाम सहित सार्वजनिक बगीची एवं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बगीची का चौक, आखरिया की भूमि, रामदेव मन्दिर की भूमि एवं आम रास्ते को सम्मिलित करते हुए आबादी के खसरा नम्बर 626 एवं आखरिया का खसरा नम्बर 625 की भूमि का पट्टा संख्या 1282 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टा, प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा एवं आबादी आखरिया की भूमि का विस्तृत विवेचन करते हुए एक नक्शा भी प्रार्थी ने अपनी निगरानी के साथ प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध है, क्योंकि नियम 140 के तहत पंचायत आबादी भूमि में ही कार्यवाही करने हेतु सक्षम है एवं उक्त भूमि नियम 136 के तहत स्थावर सम्पति में परिभाषिक नहीं होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसमें आवासीय मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया, किन्तु किसी प्रकार का नाप आदि अंकित नहीं किया। उक्त भूमि न तो पूर्व में मकान निर्मित था एवं न ही वर्तमान में मकान निर्मित है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना बैठक के ही मिसल दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम सेवक द्वारा विधि अनुसार नक्शा कायम नहीं किया। किन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया, उसका अंकन नहीं है। आपत्ति इश्तिहार कब जारी किया एवं कहां चस्पा किया गया, इसका अंकन नहीं है। जिन व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध हुए है, उन्होने रामदेवजी का मन्दिर होना जाहिर किया है, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कानून की मंशा के खिलाफ धारा 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के अन्तर्गत कुल 39237.67 वर्गफीट भूमि का विक्रय विलेख जारी कर राजकोष को क्षति पहुॅचाने का कृत्य करने से धारा 38 के तहत सरपंच एवं ग्राम सेवक को सेवा नियम के तहत दण्डित किये जाने का कृत्य किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि आबादी भूमि होने की ऐसी कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त नहीं की एवं ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का 50 वर्ष पुराना मकान मौजूद हो। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई है, जिसमें पंचायती राज नियम 1996 के आज्ञापक प्रावधानों का दुरूपयोग किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना पट्टा जारी किया गया है। मौके पर भवन आदि निर्मित है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा नियमानुसार शुल्क जमा करवाया गया है। इसके पश्चात ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया गया। ग्राम पंचायत कोरम द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत करने पर पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का मौके पर पुराना कब्जा माना है। इसके पश्चात पंचायत कोरम द्वारा अन्तरिम आदेश पारित करते हुए पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया गया है। जिसमें निर्धारित समयावधि तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। यदि प्रार्थी को उक्त आवेदन की कार्यवाही से किसी प्रकार का शिकवा था, तो वह ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात गवाहों के बयान कलमबद्ध किऐ जाकर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करते हुए सर्वसम्मति से जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई जाती है। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उसमें मनगढन्त तथ्य प्रकट किए है, जो स्वीकार

अति. जिला कलेक्टर, पाली

योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई गई है, उसमें जैर निगरानी पट्टे की भूमि के अलावा अन्य भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई कब्जा नहीं है तथा जैर निगरानी भूमि आखरिया की भूमि नहीं है तथा न ही इस भूमि में प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि समाहित होती है। धारा 97 के तहत इस न्यायालय को पंचायत की प्रक्रिया की वैधानिकता को जांचा एवं परखा जाना है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में किसी प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः निगरानी सारही होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 06/2004 संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.09.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1282 दिनांक 22.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे कि मिसल के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत धीनवास के समक्ष अपने आवासीय मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन किया तथा शुल्क जरिये रसीद संख्या 71 दिनांक 20.06.2004 को जमा करवाया। इस पर प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 21.06.2004 को मिसल दर्ज रजिस्टर कर सचिव को नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार कर प्रस्तुत किया, जो मिसल के संलग्न है। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 05.07.2004 को नक्शा मौका प्रस्तुत होने पर तीन पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया। पंचो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.07.2004 को नियम 147 के तहत पट्टा बनाने का अस्थाई निर्णय लेते हुए 1 माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की पालना में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, वह दो व्यक्तियों की उपस्थिति में आम चौहटे पर चस्पा किया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 20.08.2004 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को अपने आवासीय मकान के कब्जासुदा होने के प्रमाण स्वरूप दो गवाह पेश करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 27.08.2004 को दो व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध किए गए। इसके पश्चात प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 06.09.2004 के जरिये नियम 157 के तहत 200/– लिए जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 22.12.2004 को रसीद संख्या 13 के जरिये राशि जमा करवाने हेतु जैर निगरानी आज्ञा की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।

हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से नियम 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 06/2004 संकल्प संख्या 01 दिनांक 06.09.2004 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1282 दिनांक 22.12.2004 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली